न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1072 सन 2026
CNR. No.UPSP010031542026

अबरार पुत्र सईद अहमद, निवासी मोमिन मस्जिद मुस्तफाबाद, थाना मंडी, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 74/2026
धारा 331(4), 305ए, 317(2) बी.एन.एस
थाना मंडी, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

17.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **अबरार** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ सरफराज पुत्र सईद का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी अब्दुल द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 26.02.2025 को वादी अपने परिवार के साथ तराबी पढने गया हुआ तथा जब वह तराबी पढकर वापस आया तो उसने देखा कि अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुसकर चोरी कर रहा था, और वादी को देखकर भाग गया। जब वादी ने अपने घर का सामान व नकदी चैक की तो उसे पता चला अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घर से तीस हजार रूपये एवं सोने व चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा उसके कब्जे से इस मामले से सम्बन्धित चोरी के रूपये बरामद हुए।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष हैं और उसे मुकदमा उपरोक्त में रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी का उपरोक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नही है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी दिनांक 07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करत हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी घर में घुसकर लगभग 30,000/–रूपये चोरी करने तथा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 6,000/–रूपये बरामद होने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी पर उपलब्ध फर्द बरामदगी के अनुसार दौरान विवेचना दिनांक 06.03.2026 को आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने पर उसके कब्जे से 6,000/–रूपये बरामद होने पर पूछताछ

के दौरान उसके द्वारा अपराध की संस्वीकृति किए जाने के आधार पर उसका नाम इस मामले में प्रकाश में आना दर्शित है, परन्तु आवेदक/अभियुक्त की कथित प्रकार से गिरफतारी एंव उसके कब्जे से कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना दर्शित नही है। पत्रावली के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त की वादी से कोई शिनाख्त कराया जाना भी दर्शित नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 06.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अबरार** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध कारित नहीं रहेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–17.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891